

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1928 / 2015 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन जोन-III, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज,
104 गोवर्धन कॉलोनी, सोडाला, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री गजानंद वर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 08 / 03 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 133/अपील्स-1/आरवीएटी/जयपुर/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2013-14 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के सर्वेक्षण दिनांक 09.10.2013 में यह पाया गया था कि व्यवहारी द्वारा कन्फैक्शनरी आईटम कैण्डी, बिस्कुट्स, जोली के विक्रय पर 5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का बिक्रीत उत्पाद ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी गुड्स होने से वेट अधिनियम की अनुसूची-IV में सम्मिलित नहीं होने से अनुसूची-V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपणीय माना गया। इस आधार पर अन्तर कर, ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी थी।


8/3/2017

लगातार.....2


08/03/17

3. उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि बिक्रीत उत्पाद ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी होने से अनुसूची-V के तहत सामान्य कर दर से कर योग्य है किन्तु अपीलार्थी का यह अनुरोध स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी ने जिस फर्म से माल का क्रय किया है वह कर राजकोष में जमा करवाया जा चुका है एवं अन्तर कर राशि के रिवाईज वेट इन्वॉयस जारी किये जा चुके हैं, जिनकी छायाप्रतियां भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को आई.टी.सी. का लाभ दिये जाने के आदेश करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर (2010) 27 टैक्स अपडेट 43 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के आलोक में अपास्त किया गया। अपीलार्थी राजस्व की ओर से अपीलीय आदेश में शास्ति को अपास्त किये जाने के निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया तथा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने समस्त बिक्री अपनी बहियात एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित कर रखी है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल.जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य